संख्या-45/2021/729/24-1-21-274(बजट)/2018

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार की राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 से प्राप्त धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-560/अधि0नि0(वित्त)/निधि-।।/आरजीजीवाई/304/2017-18, दिनांक 26 मार्च, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली से किये गये त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के लिए उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम लि0 (परिवर्तित नाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0) में अंशपूँजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 95,00,00,000/- (रूपये पंचांनवे करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 22,31,450/- (रूपये बाईस लाख इकत्तीस हजार चार सौ पचास मात्र) पुस्तक समायोजन के माध्यम के स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा नगद न करके पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 22,31,450/- (रूपये बाईस लाख इकत्तीस हजार चार सौ पचास मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06- ग्रामीण विद्युतीकरण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101- त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में अंशपूँजी विनियोजन (के0-100/रा.0-90 प्रतिशत अनुदान + 10 प्रतिशत ऋण- के)-30- निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 द्वारा ऋण के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 22,31,450/- (रूपये बाईस लाख इकत्तीस हजार चार सौ पचास मात्र) को लेखाशीर्षक-6003-राज्य सरकार का आंशिक ऋण-109-अन्य संस्थाओं से कर्ज- 09- ऊर्जा विभाग-0902- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कर्ज के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई -10- 100 /दस-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

<u>संख्या-45/2021/729(1)/24-1-21, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- सचिव, कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
5- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
6- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली।
8- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in